

# कृषि निदेशालय, बिहार, पटना

पत्रांक : 9/उपा0/बीज/अनु0-134/2017

1277/कृ0 पटना दिनांक 27/2/2018

प्रेषक,

हिमांशु कुमार राय भा.प्र.से.  
कृषि निदेशक,  
बिहार, पटना।

सेवा में,

मे0 किंगस्टन क्रॉप साईन्सेज,  
H/No. 84/B ट्रान्सपोर्ट नगर,  
गेट नं0- 1, प्रथम तल्ला,  
पहाड़ी, पटना

विषय :-

बीज बिक्री हेतु नयी बीज अनुज्ञप्ति प्रदान करने के संबंध में।

महाशय,

आपसे प्राप्त प्रपत्र- 'ए' कोषागार चालान, स्थल जांच प्रतिवेदन एवं अन्य सुसंगत कागजातों के आधार पर बिहार राज्य में बीज बेचने के लिए निम्नलिखित शर्तों के अधीन क्रमांक-7 के लिए पंजीकरण किया जाता है-

1. बीज अधिनियम 1966 के सभी धाराओं को आप पूरा-पूरा पालन करेंगे।
2. बीज बिक्री एवं भंडारण का प्रतिवेदन विहित प्रपत्र में कृषि निदेशालय को हर माह के 20 तारीख तक भेजें। निर्धारित समय पर प्रतिवेदन नहीं प्राप्त होने पर पंजीकरण रद्द कर दिया जायेगा।
3. बीज नियंत्रण आदेश 1983 के अन्तर्गत घोषित बीज समय-समय पर बीज नमूना जांच के लिए लें।
4. हर बिक्री के लिए अलग पंजीकरण कर दें। बिक्री केन्द्रों की संख्या में यदि वृद्धि करें तो उसकी सूचना क्षेत्रीय कृषि पदाधिकारी को देते हुए उसकी पंजीकरण के लिए 15 दिनों के अंदर आवेदन पत्र दें अन्यथा अवैध ढंग से व्यापार करने पर पंजीकरण रद्द कर दिया जायेगा।
5. बीज बिक्री हेतु बीज विक्रेता नियुक्त कर सकते हैं।
6. पंजीकरण प्रमाण-पत्र संख्या.....21/2018.....संलग्न है।
7. राज्य के लिए केवल अनुशासित/अधिसूचित संलग्न सूची के फसल प्रभेदों का ही व्यापार करेंगे।
8. पंजीकरण की वैधता तिथि.....26/02/2021.....तक मान्य है।
9. कृषि निदेशालय के ज्ञापांक- 2408 दिनांक- 09.06.2017 से राज्य में रिसर्च फसल प्रभेदों की बिक्री प्रतिबंधित की गयी है जिसका अनुपालन सुनिश्चित किया जाय।

अनु0- बीज की सूची एवं प्रपत्र 'बी' संलग्न।

विश्वासभाजन

(हिमांशु कुमार राय)

कृषि निदेशक, बिहार, पटना।

ज्ञापांक : 1277

दिनांक- 27/2/18

प्रतिलिपि:- 1. संयुक्त निदेशक (शष्य) उपादान/सभी प्रमंडलीय संयुक्त निदेशक (शष्य)/उप निदेशक (शष्य) बीज/उप निदेशक (शष्य) मुख्यालय/उप निदेशक (शष्य) फसल/उप निदेशक (शष्य) तेलहन/उप निदेशक (शष्य) बीज विश्लेषण/उप निदेशक (शष्य) बीज निरीक्षण, बिहार, पटना/सभी जिला कृषि पदाधिकारी/सभी अनुमंडल कृषि पदाधिकारी/सभी सहायक निदेशक, उद्यान (कृषि स्नातक)/सभी बीज निरीक्षक को सूचनार्थ प्रेषित।

2. आई0टी0 मैनेजर, कृषि विभाग, बिहार, पटना को विभागीय वेबसाईट पर अपलोड एवं ई-मेल करने हेतु प्रेषित।

कृषि निदेशक, बिहार, पटना

## कृषि निदेशालय, बिहार, पटना

मे0 किंगस्टन क्रॉप साईन्सेज द्वारा राज्य में निम्नलिखित फसल प्रभेदों का व्यवसाय किया जायेगा।

पत्रांक- 1277


दिनांक- 23/06/2018

### LIST OF SEEDS

क्र०सं०	फसल का नाम	प्रभेद का नाम
1	PADDY	IR-64, MTU-1010, MTU-1001, MAHAMAYA, SWARNA (MTU-7029), PKV-HMT, BPT-5204
2	PUMPKIN	NDPK-24
3	SPONGE GOURD	GUJARAT SPONGE GOURD-IJSG-55, SWARNA PRABHA (CHSG-1)
4	TOMATO	KASHI ANUPAM (DVRT-2), KASHI HEMANT (HVRSEL-1), KASHI SHARAD (IIVR SET-2), KASHI VISHESH (H-86), ARKA ANAYA (TL BRH-9)
5	CARROT	ARKA SURAJ
6	WATERMELON	THAR MANAK
7	BOTTLE GOURD	THAR SAMRIDHI
8	KHEJRI	THAR SHOBHA
9	FRENCH BEAN	ARKA ANOOP
10	BRINJAL	KASHI PRAKASH (IVBR-1), SWARNA SHOBHA (HABR-4)
11	CAULIFLOWER	KASHI KUWARI (IVCE-2)
12	CHILLI	ARKA SUPHAL (PMR 57/88K), GUJARAT VEG CHILLI-101 ANAND JOTI 101), KASHI ANMOL (KA-2), PRASANTH (LCA-334)
13	ORKA	KASHI PRAGATI (VRO-6), KASHI VIBBUTI (VRO-5)
14	OKRA-HYBRID	HBH-142, KASHI BHAIRO (DVR-3)
15	PEA	KASHI NANDINI (VRP-5), NARENDRA SUBZI MATAR-6, ARKA KARTHIK, ARKA

- कृषि निदेशालय के ज्ञापक-2408 दिनांक 09.06.2017 से राज्य में रिसर्च फसल प्रभेदों की बिक्री प्रतिबंधित की गई है जिसका अनुपालन सुनिश्चित किया जाय।

*(Handwritten signatures)*

  
 (हिमांशु कुमार राय)  
 कृषि निदेशक, बिहार, पटना।

FORM 'B'  
(See Clause 5)

LICENSE TO CARRY ON BUSINESS OF A DEALER IN SEEDS

License No. 21/2018 Date 27/02/2018



Subject to the provisions of seed (Control) Order, 1983 and to the terms and conditions of the license मे० किंगस्टन क्रॉप साईन्सेज is hereby granted license to sell, export, import and store for the said purposes of seeds.

2. The licensee shall carry on the afore-said business H/No. 84/B ट्रान्सपोर्ट नगर, गेट नं०- 1, प्रथम तल्ला, पहाड़ी, पटना the details of boundary of places for storage and sale appear below.

Place of Sale	Place of Storage
मे० किंगस्टन क्रॉप साईन्सेज, H/No. 84/B ट्रान्सपोर्ट नगर, गेट नं०- 1, प्रथम तल्ला, पहाड़ी, पटना	मे० किंगस्टन क्रॉप साईन्सेज, H/No. 84/B ट्रान्सपोर्ट नगर, गेट नं०- 1, प्रथम तल्ला, पहाड़ी, पटना
उत्तर - शाखा रोड	उत्तर - शाखा रोड
दक्षिण - शाखा रोड	दक्षिण - शाखा रोड
पुरब - पड़ती जमीन	पुरब - पड़ती जमीन
पश्चिम - शाखा रोड	पश्चिम - शाखा रोड

Date :

Seal :

  
Licensing Authority  
Director of Agriculture  
Bihar, Patna.

TERMS AND CONDITIONS OF LICENSE

1. The license shall be displayed at a prominent and conspicuous place in a part of the business premises open to the public.
2. The holder of the license shall comply with the provisions of the seed (Control) order, 1983 and the notifications issued there under and for the time being in force.
3. This license comes into force with immediate effect and shall be valid upto 26/02/2021 (26<sup>th</sup> February 2021) Unless previously cancelled or suspended.
4. The holder of the license shall from time to time report to the licensing authority and change in the premises where he carries on his business of sale, export, import or storage for the said purposes seeds.
5. The license shall give every facility to the licensing authority or any other officer acting under his authority for the purpose of inspecting his stock in any shop, depot or godown or other place/places used by in him for the purpose of storage. Sale or export of seed.
6. Separate license should be obtain if business is carried more than one place (For each place separately).

